

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं०- 16/ए३-16/07- 546 (द०/प०) स्वा०/ डा० (श्रीमती) कुमारी उमा पाण्डेय, प्रवाचक, शालाक्य तंत्र विभाग, राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना के शालाक्य तंत्र विभाग में रिक्त प्रवाचक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०- 16/ए३-16/07- 546 (द०/प०) स्वा०/ डा० अजय कुमार सिंह, व्याख्याता, शालाक्य तंत्र विभाग, राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना के शालाक्य तंत्र विभाग में रिक्त व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०- 16/ए३-16/07- 546 (द०/प०) स्वा०/ डा० प्रदीप कुमार जायसवाल, व्याख्याता, शालाक्य तंत्र विभाग, राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय, अहिरौली, बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय के शालाक्य तंत्र विभाग में रिक्त व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं०- 16/ए३-16/07- 546 (द०/प०) स्वा०/ डा० प्रदीप कुमार दास, व्याख्याता, शालाक्य तंत्र विभाग, राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय के शालाक्य तंत्र विभाग में रिक्त व्याख्याता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(देवेन्द्र नाथ शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना/दिनांक - 30.6.09

ज्ञापांक :- 546 (द०/प०)

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० सहित प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक - 30.6.09


ज्ञापांक :- 546 (द०/प०)

प्रतिलिपि प्राचार्य, राजकीय आयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय/प्राचार्य, राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय, अहिरौली, बक्सर/प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना/प्राचार्य, राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित/नवपदस्थापित पदाधिकारियों को अविलंब विरमित कर दें /योगदान स्वीकृत करें।

प्रतिलिपि सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वर्तमान पद का प्रभार अविलंब सौंपकर स्थानान्तरित कॉलेज में प्रभार ग्रहण सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी पटना/बक्सर/बेगूसराय/दरभंगा / जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना/भोजपुर/बेगूसराय/दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मंत्री / राज्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ अपर आयुक्त, स्वास्थ्य के निजी सहायक / देशी चिकित्सा निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं सहायकगण को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
30.6.09.